रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072020-220314
CG-DL-E-01072020-220314

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2020/आषाढ़ 10, 1942
No. 324] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2020/ASADHA 10, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2020

संख्या 58/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 426(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (आठवाँ संशोधन) नियम, 2020 है ।

(2) ये 1 जुलाई 2020 से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 67क के स्थान पर निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"67क. लघु संदेश सेवा सुविधा के द्वारा विवरणी या जावक आपूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का प्रबंध - इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में जिसे धारा 39 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर-3ख में किसी कर अवधि की 'शून्य' विवरणी भरना अपेक्षित हो या जिसका धारा 37 अंतर्गत के प्ररूप जीएसटीआर-1 में किसी कर अवधि का जावक आपूर्तियों का ब्यौरा शून्य हो, इलेक्ट्रानिक तरीके से भरे जाने के किसी भी संदर्भ में उक्त विवरणी या जावक आपूर्तियों का ब्यौरा को रजिस्ट्रीकृत मोबाइल का प्रयोग करके लघु संदेश सेवा के माध्यम से भरे जाने की बात भी शामिल होगी और उक्त विवरणी या जावक आपूर्तियों के ब्यौरे का सत्यापन उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर आधारित 'वन टाइम पासवर्ड' की सुविधा के आधार पर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'शून्य' विवरणी या शून्य जावक आपूर्तियों के ब्यौरे का मतलब, किसी कर अवधि के लिए, धारा 39 के अधीन कोई ऐसी विवरणी है या धारा 37 के अधीन कोई ऐसी जावक आपूर्तियों का ब्यौरा है, जिसमें प्ररूप जीएसटीआर-3ख या प्ररूप जीएसटीआर-1 की सभी सारणी में शून्य दर्शाया गया हो या उसमें कोई प्रविष्टि ना हो, जैसी भी स्थिति हो।"।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/08/2020–जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 03/2017-केन्द्रीय कर,तारीख 19 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किये गए और सा.का.नि. संख्या 403(अ), तारीख 24 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 50/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 24 जून, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2020

No. 58/2020 – Central Tax

G.S.R. 426(E).— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force from 1st July,2020.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), for the rule 67A, the following rule shall be substituted, namely:-

"67A. Manner of furnishing of return or details of outward supplies by short messaging service facility.- Notwithstanding anything contained in this Chapter, for a registered person who is required to furnish a Nil return under section 39 in **FORM GSTR-3B** or a Nil details of outward supplies under section 37 in **FORM GSTR-1** for a tax period, any reference to electronic furnishing shall include furnishing of the said return or the details of outward supplies through a short messaging service using the registered mobile number and the said return or the details of outward supplies shall be verified by a registered mobile number based One Time Password facility.

Explanation. - For the purpose of this rule, a Nil return or Nil details of outward supplies shall mean a return under section 39 or details of outward supplies under section 37, for a tax period that has nil or no entry in all the Tables in **FORM GSTR-3B or FORM GSTR-1,** as the case may be.".

[F. No. CBEC-20/06/08/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published vide number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and last amended vide notification No. 50/2020 - Central Tax, dated the 24.06.2020, published vide number G.S.R. 403 (E), dated the 24th June 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.07.01 21:14:40 +05'30'